लेख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा

विजय कुमार यादव*
समरजीत यादव**

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक सर्वमान्य लक्ष्य है। 'सभी के लिए शिक्षा (Education for All initiative)' संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है। दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा इस लक्ष्य का एक प्रमुख आयाम है (यूनेस्को, 2005)। इस लक्ष्य की प्राप्ति का एक प्रमुख एवं सशक्त साधन समावेशी शिक्षा है। सतत विकास का एजेंडा– 2030 भी सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और आजीवन सीक्षने के लिए समावेशी शिक्षा पर बल देता है (युनेस्को, 2019)। सतत विकास का एजेंडा– 2030 के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत भी पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत में समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समतामूलक और समावेशी शिक्षा को स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य मानते हुए समाज निर्माण के लिए इसे एक आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार करती है। इसके लिए इस नीति में पूर्व विद्यालयी स्तर से ही दिव्यांग बच्चों का समावेशन करने तथा उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने की अनुसंशा की गई है। इस नीति में इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया है कि दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा सुलभ कराने के लिए राज्य हर संभव प्रयत्न करेगा। नीति में इन बच्चों के लिए नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प उपलब्ध कराने की बात की गयी है। इसके लिए विशेष शिक्षकों के माध्यम से संसाधन केंद्रों को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है कि वे गंभीर अथवा एक से अधिक दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा में मदद करें। इसके साथ ही उच्चतर शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने एवं कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता-पिता या अभिभावकों की भी मदद करें।

समावेशी शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर किसी भी विमर्श में दिव्यांग बच्चों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। भारत की जनगणना 2011 में यह उल्लिखित है कि भारत में 6–17 आयु वर्ग के 4.9 मिलियन दिव्यांगों का समूह निवास करता है। किंतु, उनमें से केवल 67 प्रतिशत ही किसी शैक्षणिक संस्थानों में भाग लेते हैं। शेष तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित नहीं हो सकी है। जबकि, इस आयु वर्ग के लिए संस्थागत उपस्थिति का अखिल भारतीय औसत 80 प्रतिशत है। भारत में संस्थागत शिक्षा

* *शोध छात्र,* महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र
** *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

© NCERT not to be republished

में प्रवेश के क्रम में दिव्यांगों की नामांकन संख्या भी तुलनात्मक रूप से तेज़ी से घटती जा रही है। विद्यालय में प्रवेश के उपरांत इनमें से अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते (विश्व बैंक, 2007) और उच्च शिक्षा में इनकी संख्या न्यूनतम (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2018 के अनुसार 0.2 प्रतिशत) रह जाती है। यह आँकड़ा स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली देश के सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने में असफल रही है। इसी कमी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिबद्ध है। नीति की स्पष्ट मान्यता है कि सभी प्रकार की विविधता वाले बच्चों का औपचारिक शिक्षा में समावेशन गुणवत्ता की कसौटी होगी। यद्यपि शिक्षा नीति में दिव्यांगता के वर्गों का अलग से उल्लेख नहीं है परंतु यह दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के साथ पूरी तरह सुसंगत है। दिव्यांगता को स्पष्ट रूप से दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 में वर्गीकृत किया गया है। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016, (प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) में 21 प्रकार के दिव्यांगताओं को स्थान दिया गया है। इनकी सूची तालिका 1 में दी गई है—

तालिका संख्या 1— दिव्यांगता के प्रकार तथा संबंधित लक्षण

दिव्यांगता के प्रकार	संबंधित लक्षण
1. बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability)	• सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई • प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में एवं अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई
2. स्वलीनता (Autism spectrum Disorder)	• किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई • आँखें मिलाकर बात न कर पाना • गुमसुम रहना
3. प्रमस्तिष्क घात वाले दिव्यांगन (Cerebral Palsy)	• पैरो में जकड़न • चलने में कठिनाई • हाथ से काम करने में कठिनाई
4. मानसिक रूग्णता (Mental Illness)	• अस्वाभाविक व्यवहार • खुद से बातें करना • मतिभ्रम और व्यसन (नशे का आदि) • किसी से डर/भय और गुमसुम रहना
5. बधिरता (Deafness)	• न सुन पाना • भाषा विकास में देरी

© NCERT not to be republished

6. श्रवण क्षीणता (Hard of Hearing)	• ऊँचा सुनना या कम सुनना • मौखिक प्रश्नों का उत्तर ठीक से न दे पाना
7. अभिवाक् एवं भाषा दिव्यांगता (Speech and Language Disability)	• बोलने में कठिनाई • सामान्य बोली से अलग बोलना जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते
8. अंधता (Blindness)	• देखने में कठिनाई • पूर्ण दृष्टिहीन
9. अल्पदृष्टि (Low-vision)	• कम दिखना • पढ़ने के आवर्धन लेंस का प्रयोग करना
10. गतिविषयक दिव्यांगता (Loco motor Disability)	• हाथ या पैर अथवा दोनों की गति विषयक जटिलताएँ • लकवा • हाथ या पैर कट जाना
11. उपचरित दिव्यांगता (Leprosy-Cured)	• हाथ या पैर या अँगुलियों में विकृति • शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे • हाथ या पैर या अँगुलियाँ सुन्न हो जाना
12. बौनापन (Dwarfism)	• व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच /147 सेंटीमीटर या इससे कम होना
13. अम्ल आक्रमण पीड़ित (Acid Attack Victim)	• शरीर के अंग हाथ/पैर/आँख आदि तेज़ाब हमले की वजह से असामान्य/प्रभावित होना
14. माँसपेशीय दुष्पोषण (Muscular Dystrophy)	• माँसपेशियों में कमज़ोरी एवं विकृति
15. विशेष अधिगम दिव्यांगता (Specific Learning Disabilities)	• बोलने, श्रुतिलेखन, लेखन, साधारण जोड़, गुणा, भाग, आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई
16. बहु स्कलेरोसिस (Multiple Sclerosis)	• समन्वय में परेशानी के कारण चलने में पैरों में कंपन • दृष्टिक्षीणता
17. पार्किंसन्स रोग (Parkinson's Disease)	• हाथ/पाँव/मांसपेशियों में जकड़न • तंत्रिक तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई

© NCERT not to be republished

18. हीमोफीलिया/अधि रक्तस्राव (Hemophilia)	• चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव • रक्त बहना बन्द नहीं होना
19. थैलेसीमिया (Thalassemia)	• खून में हीमोग्लोबीन की कमी • अत्यधिक थकावट, कमज़ोरी व संक्रमण
20. सिक्कल कोशिका रोग (Sickle cell Disease)	• खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी
21. बहु दिव्यांगता (Multiple Disabilities)	• दो या दो से अधिक दिव्यांगता

स्रोत— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

तालिका संख्या 1 से स्पष्ट है कि दिव्यांगता के कई प्रकार हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की मानसिक और शारीरिक विविधताएँ परिलक्षित होती हैं। ये मानसिक और शारीरिक विविधताएँ इन बच्चों के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। अतः इन बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षकों में विशेष कौशल होने चाहिए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ में विशिष्ट शिक्षा फिर एकीकृत शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया। अब, शिक्षा प्रणाली में और विस्तार देते हुए समावेशी शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सार्थक साधन के रूप में देखा जा रहा है।

भारत में दिव्यांगजनों की वर्तमान स्थिति

भारत की जनगणना 2011 में प्राप्त दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की संख्या की तुलना करें तो दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में भारत को लंबा रास्ता तय करना है। भारत में 29 वर्ष तक की आयु वर्ग के जिन दिव्यांगजन को शिक्षा की आवश्यकता है उनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1.23 करोड़ है। चुनौती यह है कि वंचित दिव्यांगजन के लिए शिक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में भारत में दिव्यांगजन की जनसंख्या एवं उनके शैक्षिक स्थिति को तालिका संख्या 2 व 3 में स्पष्ट किया गया है।

तालिका संख्या 2 में प्रस्तुत आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत की कुल 121.08 करोड़ जनसंख्या में से दिव्यांगजन की जनसंख्या 2.68 करोड़ (2.21 प्रतिशत) है। इसमें 1.5 करोड़ पुरुष दिव्यांगजन तथा 1.18 करोड़ महिला दिव्यांगजन शमिल हैं। यह स्पष्ट करता है कि भारत में दिव्यांगजन की एक बहुत बड़ी आबादी विद्यमान है।

तालिका संख्या 2— समस्त जनसंख्या एवं दिव्यांग जनसंख्या की तुलना

समस्त जनसंख्या, भारत 2011 (करोड़ में)			दिव्यांग जनसंख्या, भारत 2011 (करोड़ में)		
कुल व्यक्ति	*पुरुष*	*महिला*	*कुल व्यक्ति*	*पुरुष*	*महिला*
121.08	62.32	58.76	2.68	1.5	1.18

स्रोत— सेंसस ऑफ इंडिया, 2011

© NCERT not to be republished

तलिका संख्या 3— जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांगाजन का शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर	दिव्यांगजनों की कुल संख्या		
	दिव्यांग व्यक्ति	*पुरुष*	*महिला*
अशिक्षित	1,21,96,641	56,40,240	65,56,401
शिक्षित	1,46,18,353	93,48,353	57,70,000
साक्षर किंतु प्राथमिक स्तर से कम	28,40,345	17,06,441	11,33,904
प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के मध्य	35,54,858	21,95,933	13,58,925
उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के मध्य	24,48,070	16,16,539	8,31,531
माध्यमिक तथा स्नातक स्तर के मध्य	34,48,650	23,30,080	11,18,570
स्नातक तथा उससे अधिक	12,46,857	8,39,702	4,07,155
कुल	2,68,14,994	1,49,88,593	1,18,26,401

स्रोत— डिसएबिल्ड पर्सन्स इन इंडिया— अ स्टेटिकल प्रोफ़ाइल, 2016

तालिका संख्या 3 के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या का लगभग 55 प्रतिशत (1.46 करोड़) भाग साक्षर है जिसमें से लगभग 55 प्रतिशत पुरुष तथा 45 प्रतिशत महिलाएँ हैं। कुल दिव्यांग जनसंख्या का लगभग 38 प्रतिशत भाग अशिक्षित है जिसमें से 16 प्रतिशत भाग माध्यमिक तथा 06 प्रतिशत भाग स्नातक स्तर या उससे अधिक स्तर पर शिक्षित है। इसी प्रकार से 55 प्रतिशत अशिक्षित दिव्यांग महिलाओं में से 9 प्रतिशत महिलाएँ माध्यमिक तथा 3 प्रतिशत महिलाएँ स्नातक स्तर या उससे अधिक स्तर पर शिक्षित हैं।

तालिका संख्या 2 और 3 में भारत में दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या और शिक्षा के सभी स्तरों पर उनके शैक्षिक स्थिति को स्पष्ट किया गया हैं। यह आँकड़े इंगित करते हैं कि अनेक प्रयासों के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली देश के सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने में असफल रही है। शोधपरक अध्ययनों में इसके कई कारण चिह्नित किए गए हैं, यथा— संसाधनों का अभाव, नीतियों का समुचित क्रियान्वयन न होना, समाज और विशेष बच्चों के अभिभावकों द्वारा इनकी शिक्षा के लिए पहल न करना, ऐसे बच्चों के आत्मविश्वास में कमी इत्यादि। इसके अलावा भारतीय शिक्षा प्रणाली की असफलता का एक प्रमुख कारण भारत के शिक्षकों को भी माना जाता है। अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय शिक्षा प्रणाली की असफलताओं और इस असफलता के कारकों पर किस स्तर पर विचार किया गया है? और नीति में समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए किन बिंदुओं पर विचार किया गया है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षा के लिए पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एक सशक्त साधन मानते हुए सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य परिकल्पित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में समतामूलक और समावेशी शिक्षा को अनिवार्य

© NCERT not to be republished

कदम माना गया है। नीति सभी के 'स्व' को महत्त्व देते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को सपने सँजोने, विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिए नीति में सामान्य शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया है। यह नीति दिव्यांग बच्चों या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सक्षम तंत्र बनाने पर ज़ोर देती है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016) समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ दिव्यांग एवं अन्य सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। इसके साथ ही शिक्षण एवं सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफ़ारिशों को पूरा करती है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करते समय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ आवश्यक रूप से परामर्श करने की सिफ़ारिश करती है। नीति में दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही गयी है। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा गंभीर अथवा एक से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए जहाँ भी आवश्यक हो एक संसाधन केंद्र स्थापित करने पर बल दिया गया है। इसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 के अनुरूप दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने तथा कक्षा-कक्ष में उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। नीति में इन बच्चों को शिक्षकों तथा अपने अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए आवश्यक सहायक उपकरण, तकनीकी आधारित उपकरण (जैसे— बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्यपुस्तकें) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की बात भी की गयी गई है। इसके साथ ही इसे कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित स्कूल की सभी गतिविधियों पर भी लागू करने की भी परिकल्पना की गयी है। नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान को भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाले माड्यूल विकसित करें इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

नीति में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 के प्रावधानों के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा। इसके लिए विशेष शिक्षकों के माध्यम से संसाधन केंद्र गंभीर अथवा एक से अधिक दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित आवश्यक मदद करेंगे। इसके साथ ही वे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने व कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता-पिता को भी सहायता प्रदान करेंगे। नीति में इस बात की परिकल्पना की गई है कि स्कूल जाने

© NCERT not to be republished

में असमर्थ, गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा। गृह आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चों के समतुल्य माना जाएगा। गृह आधारित शिक्षा की दक्षता व प्रभावशीलता की जाँच हेतु समता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 के अनुरूप इस ऑडिट के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश और मानक विकसित किए जाएँगे। शिक्षकों को ऐसे दिव्यांग बच्चों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए तैयार किया जाएगा जिन्हें सीखने संबंधी विशेष मदद की आवश्यकता होती है। इसके लिए उपयुक्त तकनीक का प्रयोग करते हुए ऐसे प्रयास किए जाएँगे जिसमें बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रत्येक बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को लचीला बनाना और उपयुक्त आकलन एवं प्रमाणन के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी का निर्माण शामिल होगा। इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने तथा बुनियादी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के शिक्षा के मूल्यांकन के संचालन हेतु सुझाव देने का कार्य 'परख' नामक प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र सहित अन्य मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसियों को सौंपने की बात कही गयी है। इससे सीखने की अक्षमता वाले सभी बच्चों के लिए समान पहुँच एवं अवसर सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नीति में सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच बनाने और उन्हें सफल बनाने के लिए सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में समता और समावेशन को महत्व प्रदान किया गया है। इसमें शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा मानते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना गया है। नीति में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि तकनीक का यथासंभव प्रयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सके। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक योजनाओं और उनके प्रबंधन में सहायता मिल सके। नीति में इस पर भी विचार किया गया है कि विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को सीखने से संबंधित विशेष क्षमताओं के साथ कैसे पढ़ाया जाए तथा इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक-प्रशिक्षकों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। लैंगिक संवेदनशीलता व अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूह के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर किया जा सके। शिक्षकों और अभिभावकों को इसके प्रति संवेदनशील बनाना होगा जिससे वे इन बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दें।

नीति में स्कूल की शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता को महसूस किया गया है। इन विशेषताओं के कुछ उदाहरण में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के दिव्यांग बच्चों (जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है) के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल है। इन शिक्षकों में सिर्फ़ विशेष शिक्षण ज्ञान और विषय संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल

भी होने चाहिए। इसलिए इन शिक्षा क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शरुआती दौर या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी होने के बाद द्वितीयक विशेषता विकसित की जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन माध्यम से पूर्णकालिक या अंशकालिक मिश्रित कोर्स बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएँगे। योग्य विशेष शिक्षकों को, जो विषय शिक्षण भी कर सकते हों, की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् (एनसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (आरसीआई) के पाठ्यक्रम के बीच व्यापक तालमेल को सक्षम किया जाएगा। नीति में इस बात की परिकल्पना की गई है कि हमारे शैक्षिक संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षण-विधि छात्रों में मौलिक दायित्व, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूर्ण सफलता के लिए विद्यालय की संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता है। नीति में यह भी परिकल्पित किया गया है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी प्रतिभागी, (शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, काउंसलर और विद्यार्थी) सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, समावेशन और समता की धारणाओं और सभी व्यक्तियों के सम्मान, प्रतिष्ठा और निजता के प्रति संवेदनशील होंगे। इसमें समावेशन और समता मूलक को शिक्षक शिक्षा का एक प्रमुख पहलू बनाया जाएगा। जो बच्चों को एक सशक्त और ज़िम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करेंगे।

शिक्षक की भूमिका

स्वतंत्रता के बाद से भारत में सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जाने लगे। भारत में समावेशी शिक्षा पर विशेष बल भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में सलामांका वक्तव्य के दौरान आधिकारिक हस्ताक्षर हुए शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रमुख ज़िम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर डाली गयी। इस क्रम में शिक्षकों के महत्व को स्वीकार किया गया है और उनसे यह अपेक्षा की गयी है कि वे अपनी कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करें (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 भाग (9) 'शिक्षक')। सर्व शिक्षा अभियान, 2000 में भी सभी सामान्य विद्यालयों को समावेशी बनाने पर बल देते हुए शिक्षकों को अपने शिक्षण प्रणाली में सुधार करने तथा बाधारहित विद्यालयी वातावरण तैयार करने की बात कही गयी। इसके पश्चात *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा* 2005 में शिक्षकों की भूमिका पर विशेष ज़ोर देते हुए यह उल्लिखित किया गया कि शिक्षक को अपने विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण इस प्रकार से तैयार करना चाहिए जिससे बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक प्रश्न पूछ सकें, सहपाठी-शिक्षक संवाद हो सके तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सभी बच्चों की साझेदारी सुनिश्चित हो सके। इसी बात को विस्तार देते हुए *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* में उल्लिखित किया गया कि शिक्षक नियमित और समयनिष्ठ ढंग से पाठ्यक्रम संचालित करें एवं उसे पूरा करें। इसके अतिरिक्त वे माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करें और बच्चे के विषय में उपस्थिति नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गयी प्रगति एवं किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराएँ। दिव्यांगजन

© NCERT not to be republished

अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय 3 'शिक्षा' में भी शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की बात कही गयी है जिससे वे दिव्यांग बच्चों के शिक्षण हेतु कौशल युक्त हो सकें। हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। यह नीति समावेशी शिक्षा पर और अधिक बल देती है और इसमें शिक्षकों में दिव्यांग बच्चों के शिक्षण हेतु आवश्यक कौशल के विकास को विशेष महत्व दिया गया है। यह नीति शिक्षकों के अलावा अभिभावकों को भी इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाने पर ज़ोर देती है। इस नीति में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों में समावेशन के प्रति उत्साह की चिंता साफ़ झलकती है—'अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापना, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वंचित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)। इस प्रकार विभिन्न नीतियों में समावेशी शिक्षा और इसकी सफलता के लिए शिक्षकों की ज़िम्मेदारी पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

शिक्षक समावेशी शिक्षा की सफलता की कुंजी हैं, अतः शिक्षकों को यह स्वीकार करना होगा कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा उनके शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग है। प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम की सफलता शिक्षकों की गुणवत्ता और उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। विभिन्न शोधों में इस बात पर बल दिया गया है कि समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए शिक्षकों में निम्नलिखित दो विशेषताओं का होना आवश्यक होता है—प्रथम, समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण तथा द्वितीय, शिक्षकों में समावेशी शिक्षा संबंधी ज्ञान एवं कौशल।

समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए शिक्षकों में सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रवाह अत्यधिक आवश्यक है। शोधपरक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि मुख्य धारा के विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने के पक्ष में नहीं हैं (कुमार, 2017)। वे दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों के योग्य नहीं समझते और यह मानते हैं कि इन बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए (जैन एवं यादव, 2017)। वे यह भी सोचते हैं कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए ऐसा करने से सामान्य बच्चों को क्षति होती है और वे सहज ढंग से सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं (रौज, 2008 एवं मसानजा, 2016)। भारतीय संदर्भ में किए गए विभिन्न अध्ययनों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आज भी शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव है। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक-शिक्षा के संस्थानों में 'शिक्षा में समावेशन' के मूल्यों को बेहतर ढंग से स्पष्ट किया जाए और सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों में इन मूल्यों का विकास किया जाए। समावेशी शिक्षा की अवधारण इस मान्यता पर आधारित है कि सामान्य बच्चों एवं दिव्यांग बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में सामान्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसी मान्यता के आधार पर समावेशी कक्षा के निर्माण की ज़िम्मेदारी शिक्षकों के कंधे पर आ जाती है परंतु अनेक प्रयासों के बावजूद शिक्षक समावेशी कक्षा का निर्माण करने में सफल नहीं हो सके हैं (रौज, 2008., शेख एवं अहमद, 2019)। इस असफलता का मुख्य कारण है— उनमें दिव्यांग बच्चों के शिक्षण संबंधी

© NCERT not to be republished

ज्ञान एवं कौशल का अभाव (नंदिनी एवं हसीन, 2014, मसानजा, 2016)। अतः समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों में दिव्यांग बच्चों के शिक्षण संबंधी ज्ञान एवं कौशलों का विकास किया जाए। इसके लिए शिक्षक-शिक्षा के संस्थानों में उचित एवं प्रभावी पाठ्यचर्या का निर्माण एवं क्रियान्वयन करते हुए शिक्षको में संबधित ज्ञान एवं कौशलों का विकास करना होगा।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा एक वैश्विक नीति है जिसे लागू करना प्रत्येक देश की प्रमुख आवश्यकता है और इसे लागू करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शोधपरक अध्ययन (कुमार, 2016; ब्रेडली एवं फिशर, 1995) यह प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य कक्षाओं में विशेष बच्चों का व्यवस्थापन बहुत कुछ शिक्षकों की अभिवृत्ति तथा विशेष बच्चों के शिक्षण हेतु इनके अध्यापकीय ज्ञान पर निर्भर करता है। किंतु, शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ-साथ उनमें दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण संबंधी पर्याप्त ज्ञान और कौशलों की भी कमी पाई गई। मसानजा (2016) ने अपने शोध अध्ययन के आधार पर बताया कि विशेष बच्चों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के अभाव के कारण समावेशी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों का उचित नामांकन दर्ज नहीं हो पाता है। बंसल (2016) अपने अध्ययन में यह उल्लिखित करते हैं कि अधिकांश शिक्षक दिव्यांग विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्मित नवीन ज्ञान और कौशल के महत्व पर ज़ोर दे रहे हैं। वे एक पेशेवर के रूप में सशक्त बनने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता को भी व्यक्त कर रहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि सभी शिक्षकों को चाहिए कि वे सभी बच्चों (सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों) को एक साथ अध्ययन करने का अवसर प्रदान करें। उन्हें समावेशी कक्षा में शिक्षण हेतु आवश्यक ज्ञान एवं कौशलों को अर्जित करना चाहिए तथा शिक्षा में समावेशन की प्रक्रिया को सहज स्वीकार करना चाहिए। इसी को विस्तार देते हुए शर्मा, चारी एवं चूनावाला (2017) ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सुझाव दिया कि सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए। शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में समावेशन के मूल्यों का विकास एवं शिक्षकों में इनका प्रवाह करना चाहिए जिससे उनमें समावेशी शिक्षा के प्रति बेहतर दृष्टिकोण का विकास हो सके और वे अपनी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम हो सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य और बच्चों एवं उनके माता-पिता के बीच संबंध स्थापित करना और उन्हें विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए प्रेरित करना शिक्षकों का महत्वपूर्ण दायित्व है। यह शिक्षक ही है जो बच्चों की शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए-नए तरीकों की तलाश करता है और दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता सेवाओं के प्रावधान को समन्वित करता है। अतः शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण सहयोगी, सुगम्य एवं सभी के लिए शिक्षण-अधिगम के अनुकूल बनाए। समावेशी शिक्षा की सफलता में शिक्षकों को अपनी भूमिका की पहचान और उसका निर्वहन करना होगा। इसके लिए उन्हें विद्यालय परिवेश तथा विद्यालय से बाहर अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना होगा, जैसे— उन्हें स्वयं में सभी

© NCERT not to be republished

बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए एवं अपने सहयोगी शिक्षकों में इस दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। उन्हें विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें और अपने विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें। इसके साथ ही उन्हें बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार के बच्चे सुगम, सरल और सहयोगी ढंग से सीख सकें, स्वयं का विकास कर सकें और अपने समुदाय एवं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। शिक्षकों को सभी बच्चों से संबंधित समस्त जानकारी के लिए उनके अभिभावकों एवं माता-पिता से मिलकर रिकॉर्ड इकट्ठा करना चाहिए ताकि उन बच्चों के व्यवहार एवं मानसिक दशा को समझकर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करना एवं कक्षा में उनके बैठने के लिए उचित स्थान प्रदान करना भी शिक्षकों का ही दायित्व है। इसके अलावा शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यसहगामी क्रियाओं, खेल एवं मनोरंजन क्रियाओं का आयोजन करें जिसमें सभी बच्चों की समुचित सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही ऐसी गतिविधियाँ करवानी चाहिए जिससे इन बच्चों में एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं सहयोग की भावना विकसित हो सके। शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा में इन बच्चों के परिणामों को अधिकतम करने के लिए सदैव तत्पर रहें एवं इसके लिए उन्हें उचित निर्देश एवं परामर्श प्रदान करें। शिक्षकों का यह परम दायित्व है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप वे कक्षा में निष्ठापूर्वक, कुशल एवं प्रभावी तरीके से निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें।

समावेशी शिक्षा सभी बच्चों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान का एक उत्तम साधन है। परंतु, समावेशी शिक्षा को सफल बनाना किसी भी राष्ट्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। समावेशन के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं इन बच्चों के शिक्षण संबंधी उनके प्रशिक्षण एवं ज्ञान पर निर्भर करता है। विभिन्न अध्ययनों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षकों में विशेष शिक्षा संबंधी ज्ञान एवं कौशलों की कमी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि शिक्षकों में सभी बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होगा और उनमें संबंधित ज्ञान एवं कौशलों का विकास करना होगा। अतः शिक्षा में समावेशन के संदर्भ में शिक्षक अपने दायित्वों को समझने एवं उनका निर्वहन करने में रुचि नहीं रखते हैं। इसे दूर करने के लिए शिक्षकों को विशेष शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। इसके लिए शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में प्रभावी ढंग से नवीन शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम को लागू करने, विभिन्न शिक्षण-अधिगम क्रियाओं द्वारा शिक्षकों में समावेशी शिक्षा संबंधी ज्ञान एवं कौशलों का विकास करने तथा उनमें सभी बच्चों के शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। यदि शिक्षक दिव्यांगजन के बच्चों की शिक्षा को अपने शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग स्वीकार नहीं करते हैं तो समावेशी शिक्षा की सफलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। वे इन बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया को अपने शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग स्वीकार करें और शिक्षा में समावेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए समावेशी शिक्षा की सफलता को सुनिश्चित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

एम.एच.आर.डी. 2018. *आल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2017–18*. डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली.

कुमार, ए. 2016. एक्सप्लोरिंग द टीचर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन सिस्टम— ए स्टडी ऑफ़ इंडियन टीचर्स. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एण्ड प्रैक्टिस*. 7(34). पृष्ठ 1–4. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1126676.pdf पर देखा गया।

कुमार, एस. 2017. दिव्यांग बच्चों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण. *परिप्रेक्ष्य*. 24 (2) पृष्ठ 67–74 नीपा, नयी दिल्ली.

कोहमा, ए. 2012. *इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया– अ कंट्री इन ट्रांजिसन. डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडी*. यूनिवर्सिटी ऑफ़ ओर्गोन, 1–58. https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.uoregon.edu/dist/e/13135/files/2012/12/INTL-UG-Thesis-Kohama.pdf पर देखा गया।

घोस, एस. सी. 2017. इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया— अ डेवलपिंग माईलस्टोन फ्रॉम सेग्रेगेसन टू इन्क्लूजन. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल सिस्टम*. 1(1). पृष्ठ 53–62. https://www.sryahwapublications.com/journal-of-educational-system/pdf/v1-i1/6.pdf पर देखा गया।

जैन, सी. और ए. यादव. 2017. उच्च माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति. *परिप्रेक्ष्य*. नीपा. 24(2). पृष्ठ 53–66, नयी दिल्ली.

डिसएबिल्ड पर्सन्स इन इंडिया– अ स्टेटिकल प्रोफाइल. 2016. http://mospi.nic.in पर देखा गया।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम. 2016. http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD प्रतिशत20Act प्रतिशत20- प्रतिशत20Hindi 2016.pdf पर देखा गया।

नंदिनी, एन. और एच. हसीनताज. 2014. इन्क्लूसिव एजुकेशन— की रोल ऑफ़ टीचर्स फ़ॉर इट्स सक्सेज. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इन्फॉर्मेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक रिसर्च, 1(9), पृष्ठ 201–208. http://www.ijifr.com/pdfsave/27-05-2014548Inclusive %20Educatiion, %20Key %20role %20of %20teacher %20a2a.pdf पर देखा गया।

बंसल,एस. 2016. एटीट्यूड ऑफ़ टीचर्स टूवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन इन रिलेशन टू देयर प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट. *इंडियन जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल स्टडीज*. चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन. पंजाब. 3(1). पृष्ठ 96–108. http://ccemohali.org/img/Dr. %20Sneh %20Bansal.pdf पर देखा गया।

ब्रेडली डी. एफ़. और जे. एफ़ फिशर. 1995. द इन्क्लूसिव प्रोसेस— रोल चेंजेज एट द मिडिल लेवल. *मिडिल स्कूल जर्नल*. 26(6). https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00940771.1995.11494420 पर देखा गया।

भार्गव, आर. 2016. *समावेशी शिक्षा*. राजश्री प्रकाशन, आगरा.

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 / संशोधित अधिनियम. (2000). ww.rehabcouncil.nic.in/writereaddata/RCI_Amendments_ACT.pdf पर देखा गया।

मसानजा, पी. 2016. *रोल फ़ॉर टीचर्स इन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ़ इन्क्लूसिव एजुकेशन— द स्टडी आफ़ सांगोई म्यूनिसिपल कौंसिल*. मजाम्बी यूनिवर्सिटी. पृष्ठ 1–64. http://scholar.mzumbe.ac.tz/bitstream/handle/11192/1997/MAED_Masanja %2c %20P_2016.pdf?sequence=1 पर देखा गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. नयी दिल्ली.

मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. 2011. *सेंसस ऑफ़ इंडिया-2011*. मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत सरकार.

यूनेस्को. 2005. *गाइडलाइन फ़ॉर इनक्लूजन— एनश्योरिंग एक्सेस एजुकेशन फ़ॉर आल*. यूनेस्को. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140224 पर देखा गया।

———. 2015. *एजुकेशन फ़ॉर आल ग्लोबल मानीटरिंग रिपोर्ट 2015— अचीवमेंट एण्ड चैलेंजेज*. यूनेस्को. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000177683 पर देखा गया।

———. 2019. *स्टेट ऑफ़ द एजुकेशन रिपोर्ट फ़ॉर इंडिया 2019— चिल्ड्रेन विद् डिसएबिलिटी*. file:///C:/Users/vijay/Downloads/summaryhindi %20(1).pdf पर देखा गया।

रौज, एम. 2008. डेवलपिंग इन्क्लूसिव प्रैक्टिसेस: अ रोल फ़ॉर टीचर्स एण्ड टीचर एजुकेशन. यूनिवर्सिटी ऑफ़ एबरदीन, पृष्ठ 1-20. http://www.includ-ed.eu/sites/default/files/documents/aberdeen.pdf पर देखा गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

विश्वबैंक. 2007. *पीपुल विद् डिसएबिलिटीज इन इंडिया: फ़्रॉम कमिटमेंट्स टू आउटकम्स*. http://documents1.worldbank.org/curated/en/358151468268839622/pdf/415850IN0Disab1ort0NOV200701PUBLIC1.pdf पर देखा गया।

शेख, एम. और एस.बी.वी. अहमद. 2016. रोल ऑफ़ ग्लोब्लाइजेशन इन इन्क्लूसिव एजुकेशन. *स्कालरली रिसर्च जर्नल फ़ॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी*. 20(10), पृष्ठ 1097–1108. https://www.google.co.in/search?sxsrf=ALeKk02qRQnVut8mr6OTj8 %E0 %A5 %rWikNzuAhXRyDgGHVD6DfoQjJkEegQIDBAB&biw=1536&bih=666 पर देखा गया।

शर्मा, ए., चारी डी. और एस. चूनावाला. 2017. एक्सप्लोरिंग टीचर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडियन कांटेक्स्ट यूजिंग 'टाइप ऑफ़ डिसएबिलिटी' लेंस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ टेक्नालाजी एण्ड इन्क्लूसिव एजुकेशन*, 6(2), पृष्ठ 134–142. https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/ijtie/published-papers/volume-6-2017/Exploring-Teachers-Attitudes-Towards-Inclusive-Education-in-Indian-Context-.pdf पर देखा गया।

रा.शै.अ.प्र.प., 2016. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished